कार्यालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म0प्र0)

:0: कार्य विभाजन–संशोधन आदेश :0:

क्रमांक–**53** /S.W./F-33/2024 देवास दिनांक–: .05.2024

01. इस कार्यालय द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्र. 51/एस.डब्ल्यू./2024, दि. 02.05.2024 की **कंडिका क्रमांक 12 (श्री चन्द्रकिशोर बारपेटे, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बागली)** के **कालम नंबर 04** में निम्नाशय का संशोधन किया जाता है:–

(I) उक्त कण्डिका क्रमांक–12 में अंकित **बिन्दु क्रमांक 08** को इस प्रकार संशोधित किया जाता है–मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत **तहसील बागली, हाटपीपल्या एवं उदयनगर** के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावे, उक्त क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले सम्बंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावे, निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।

(II) इसी प्रकार उक्त कंण्डिका क्रमांक 12 के कॉलम नं.4 के **बिन्दु क्रमांक 25** को इस प्रकार संशोधित किया जाता है–**तहसील बागली, हाटपीपल्या एवं उदयनगर** के अंतर्गत उद्भूत धारा 438 एवं 439 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र (SC & ST Act एवं NDPS Act को छोड़कर) तथा दण्ड प्रकिया संहिता अंतर्गत प्रस्तुत अन्य आवेदन।

02. तहसील न्यायालय, कन्नौद में पदस्थ **प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड (श्रीमती सोनाली शर्मा) कन्नौद, जिला–देवास** के दीर्घकालीन अवकाश पर होने से उनके न्यायालय के सभी प्रकरण प्रत्याहरित कर, अन्य न्यायालय को अंतरित किए जा रहे है। ऐसी स्थिति में उक्त न्यायालय को आवंटित कार्य भी तहसील न्यायालय, कन्नौद में पदस्थ द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड (श्री कुन्दन कछवाहे) कन्नौद, जिला–देवास को आवंटित किए जाने हेतु कार्य विभाजन आदेश क्र. 51/एस.डब्ल्यू./2024, दि. 02.05.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए, **कंडिका क्रमांक–44** (श्रीमती सोनाली शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद) **को आगामी आदेश तक पूर्ण रूप से विलोपित किया जाता है एवं कण्डिका क्र.45 (श्री कुन्दन कछवाहे, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद) के कॉलम क्र.4 में (अंकित बिन्दु क्र.1 को विलोपित करते हुए) बिन्दु क्रमांक 03 के पश्चात् नवीन बिन्दु क्रमांक 04 लगायत 07 निम्नाशय के अन्तःस्थापित किए जाते है:–**

बिन्दु क्र.

4. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन एक रूपये से 5,00,000/– (पांच लाख) रूपये तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।
5. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम अंतर्गत 3,00,000/– रूपये (तीन लाख) रूपये तक के वाणिज्यिक विवाद संबंधित वाद।
6. लघु वाद रूपये 200/– (दो सौ) रूपये मूल्यांकन तक वाले प्रकरण एवं उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।
7. स्वयं के न्यायालय तथा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद व तहसील मुख्यालय कन्नौद के व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के पूर्व से रिक्त न्यायालयों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां तथा उक्त से न्यायालयों से सम्बंधित प्रकरण व माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।

यह संशोधन आदेश, कार्य विभाजन आदेश क्र.**51/एस.डब्ल्यू./2024** दिनांक 02.05.2024 का अंग रहेगा एवं तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

(मधुसूदन मिश्र)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास (म0प्र0)

पृष्ठांकन कमांक/1931/S.W./F-33/2024 देवास दिनांक—:03.05.2024

प्रतिलिपि:—

01 प्रथम/ द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कन्नौद, जिला—देवास

02. द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बागली, जिला—देवास

03. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड, बागली/कन्नौद, जिला—देवास

04. प्रभारी अधिकारी, पंजीयन अनुभाग, बागली/कन्नौद जिला—देवास
की ओर सूचनार्थ व अनुपालनार्थ अग्रेषित।

05. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला न्यायाधीश, देवास

06. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बागली/कन्नौद, जिला—देवास
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

07. थाना प्रभारी, हाटपिपल्या/बागली/उदयनगर, जिला—देवास की ओर सूचनार्थ व अनुपालनार्थ।

08. जुनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, देवास की ओर उक्त आदेश को जिला न्यायालय, देवास की वेबसाईट पर अपलोड करने के निर्देश सहित अग्रेषित।

(मधुसूदन मिश्र)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास (म0प्र0)